



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227437
CG-DL-E-09062021-227437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 318]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

सा.का.नि. 396(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11), धारा 124 की उपधारा (6) और धारा 90 की उपधारा (9) और उपधारा (9क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण नियम, 2016 में, (क) नियम 3 में, उपनियम (2) के, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(चक) अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) के परंतुक के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा रखे गए सभी शेयर और ऐसे शेयरों के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी हित लाभ, बिना किसी निर्बंधन के;”

(ख) नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6क. इस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) के अधीन निधि में शेयरों के अंतरण की रीति: (1) उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा खोले जाने वाले प्राधिकरण के डीमेट लेखा में ऐसे शेयरों को, निधि में अंतरण के लिए देय होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जमा किया जाएगा:

परंतु यह कि निधि में कंपनियों द्वारा शेयरों का अंतरण शेयरों का हस्तांतरण समझा जाएगा और निधि में शेयरों का अंतरण करते हुए, कंपनियों को शेयरों के हस्तांतरण हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा:

परंतु यह भी कि ऐसे शेयर प्राधिकरण को बिना किसी निर्बंधन के अंतरित किए जाएंगे और प्राधिकरण से ऐसे शेयरों की वापसी दावे के संबंध में कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे शेयरों के प्रभावी अंतरण के प्रयोजन के लिए, बोर्ड कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को जरूरी दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-

(क) प्रभावी अंतरण के प्रयोजन के लिए, जहां शेयरों का डिपॉजिटरी में लेनदेन होता है-

- (I) जहां प्राधिकरण के पक्ष में अंतरण के लिए शेयरधारकों के अपने खाते हैं, वहां कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से सूचित करेगी।
- (II) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, निक्षेपागार प्राधिकरण के डीमेट खाते में शेयरों के अंतरण को प्रभावी करेगा।

(ख) भौतिक रूप के शेयरों के अंतरण के प्रयोजनों के लिए -

- (I) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, संबंधित शेयरधारक की तरफ से नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन देगा;
- (II) खंड (क) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक के लिए एक नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और प्रमाण पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा जाएगा कि “इस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) के अधीन आईईपीएफ को अंतरण के प्रयोजन हेतु शेयर प्रमाणपत्र संख्या के एवज में जारी किया गया” और यही इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा;
- (III) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र का विवरण प्ररूप एसएच-1 में किया जाएगा जैसा कि कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट है;
- (IV) नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात्, कंपनी निक्षेपागार को शेयर प्रमाणपत्र को डीमेट प्ररूप में परिवर्तित करने और प्राधिकरण के पक्ष में अंतरण के लिए कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से सूचित करेगी।

(4) कंपनी कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से ऐसे अंतरण करेगी और अपने अभिलेख के लिए इसकी प्रतियों को संरक्षित रखेगी।

(5) ऐसा अंतरण करते हुए, कंपनी, नियम 6क के उपनियम (4) के अधीन कारपोरेट कार्रवाई के 30 दिनों के भीतर, प्राधिकरण को प्ररूप सं. आईईपीएफ-4 में विवरण भेजेगी, जिसमें ऐसे अंतरणों का विवरण निहित है और कंपनी भी इस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (8) के अधीन अधिकरण के आदेश की एक प्रति संलग्न करेगी और साथ ही यह घोषणा करेगी कि इस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) के अधीन अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया गया है या अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(6) निधि को अंतरित शेयरों पर मताधिकार शिथिल रहेंगे:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011 के प्रयोजन के लिए, ऐसे शेयरों जिन्हें प्राधिकरण को अंतरित किया गया है, को कुल मताधिकार की गणना के समय, गणना से अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(7) कंपनी उपनियम (3) के अधीन फाइल किए गए ऐसे सभी विवरणों को सभी सहायक दस्तावेजों सहित, उसी प्ररूप में रखेगी और प्राधिकरण को ऐसे अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(8) ऐसे शेयरों जैसे बोनस शेयर, स्पलिट शेयर, कंसोलिडेसन, फ्रैक्शन शेयरों और राइट इश्यू के अलावा ऐसे ही शेयरों की प्राप्ति से होने वाले लाभ को भी कंपनियों द्वारा ऐसे डीमेट खाते में जमा किया जाएगा जो ऐसे अंतरणों के विवरणों सहित कारपोरेट कार्यवाही के तीस दिनों के भीतर प्ररूप सं. आईईपीएफ-4 में विवरणी प्राधिकरण को भेजेगी।

(9) यदि कंपनी को असूचीबद्ध किया गया है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनिमय, 2009 के अनुसार शेयर धारकों की ओर से शेयरों को अभ्यर्पित कर देगा और प्राप्त आगम निधि में जमा किया जाएगा तथा ऐसे आगमों के लिए पृथक वही खाता रखा जाएगा।

(10) यदि ऐसी कंपनी, जिसके शेयर और प्रतिभूतियां प्राधिकरण के द्वारा धारित हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण, प्रतिभूति धारक की ओर से हकदार रकम प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करेगा और ऐसी रकम को निधि में जमा करवाएगा तथा ऐसे आगमों के लिए एक पृथक वही खाता रखा जाएगा।


(11) ऐसे शेयरों से प्राप्त कोई अतिरिक्त लाभांश निधि में जमा किया जाएगा तथा ऐसे आगमों के लिए एक पृथक वही खाता रखा जाएगा।

(12) उपनियम (9), उपनियम (10) और उपनियम (11) में यथाउपबंधित, कंपनियों द्वारा निधि में जमा की जाने वाली किसी रकम को आईईपीएफ प्राधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के विशिष्ट खाते में प्रेषित किया जाएगा। [और इसके विवरण प्राधिकरण को प्रेषण की तारीख के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-7 में प्रस्तुत किए जाएंगे।

परंतु यह भी कि ऐसी संपूर्ण रकम प्राधिकरण को बिना किसी निर्बंधन के अंतरित की जाएगी और प्राधिकरण से ऐसी रकम के वापसी दावे के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा।

(13) जब कभी भी कंपनियों द्वारा नियमों के अननुपालन का मामला संज्ञान आएगा तो प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्ररूप आईईपीएफ-4 और आईईपीएफ-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

<p>“प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(5), नियम 6(8), नियम 6क(5) और नियम 6(8) के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अन्तरित शेयरों का विवरण</p>
--	--	---

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार 'विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियों को अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण 2- शेयरों से होने वाले लाभों के लिए आईईपीएफ-4 के प्रत्येक एसआरएन हेतु अलग आईईपीएफ-4 फार्म फाइल किए जाने आवश्यक हैं।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पूर्व भरा हुआ
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी

3. (क)* आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए शेयरों की कुल सांकेतिक रकम

(ख)* अंतरित शेयरों की कुल संख्या

4. फाइलिंग का उद्देश्य

1. *प्ररूप आईईपीएफ-1/1-आईएनवी/आईईपीएफ-4 का एसआरएन पूर्व भरा हुआ

2. आईईपीएफ में अंतरित शेयरों पर उपार्जित लाभों की घोषणा की तारीख

3. आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते पर कारपोरेट कार्रवाई की तारीख

5. *वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

1. *समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति या अधिनियम की धारा

संलग्न करें

90 की उप-धारा (8) के अधीन अधिकरण के आदेश की प्रति इस

घोषणा के साथ कि कोई भी आवेदन अधिनियम की धारा 90

संलग्न करें

की उपधारा के अधीन नहीं है।

2. ऐच्छिक अनुलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सभी जानकारी जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी सम्मिलित हैं, सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए डीएससी बॉक्स

* पदनाम

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी आयकर खाता संख्या; सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें)

(जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।”

प्ररूप सं. आईईपीएफ- 7

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
(लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016
के नियम 6(14) और नियम 6क(13) के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

निधि में अंतरित शेषों के कारण
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में
जमा की गई रकमों का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर आने वाली अभिस्वीकृति में यथा-उल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार
ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण 2 – कृपया ध्यान रखें कि यह प्ररूप एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक बार ही भरा जाना है।

फाइलिंग का उद्देश्य

1. (क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन)/ _____ (पूर्व-भरा हुआ)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता _____

(ग) *कंपनी का ई-मेल आईडी _____

3. *अंतरिती बैंक का नाम _____

4. *बैंक संव्यवहार आईडी _____
5. *निधि में रकम के संदाय की तारीख _____
6. *निधि में जमा की गई रकम _____
7. *निधि के बैंक खाते में अंतरित रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम (रुपए में)	वह तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जाए
(क)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों पर लाभांश		
(ख)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों को सूची से हटाने पर वसूल किए गए आगम		
(ग)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों के परिसमापन से वसूल किए गए आगम		
(घ)	अन्य		
	कुल		

8. *वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है
- _____

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. *लाभांश/समापन आदेश/असूचीबद्ध करने के आदेश की घोषणा करने वाले संकल्प की प्रति संलग्न करें _____
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करें _____

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं, निदेशक मंडल के संकल्प संख्या * _____ तारीख * _____ (दिन/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूँ।

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इसके समनुषंगी विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सभी जानकारी जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी सम्मिलित हैं सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम _____

*निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या
सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव
की सदस्यता संख्या;

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप की जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

[फा. सं. 05/04/2020-आईईपीएफ]

मनोज पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 सा.का.नि. 1267(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017, सा.का.नि. 472(अ) तारीख 22.05.2018 और सा.का.नि. 343(अ) तारीख 01 मई, 2019 और सा.का.नि. 371(अ) तारीख 14 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 09th June, 2021

G.S.R. 396 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125, sub-section (6) of section 124 and sub-sections (9) and (9A) of section 90 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

- Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (a) in rule 3, in sub-rule (2), after clause (f), the following shall be inserted, namely:-

“(fa) all shares held by the Authority in accordance with proviso of sub-section (9) of section 90 of the Act and all the resultant benefits arising out of such shares, without any restrictions;”

(b) after rule 6, following rule shall be inserted, namely:-

“6A. Manner of transfer of shares under sub-section (9) of section 90 of the Act to the Fund.- (1) The shares shall be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority for the said purpose, within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that transfer of shares by the companies to the Fund shall be deemed to be transmission of shares and the procedure to be followed for transmission of shares shall be followed by the companies while transferring the shares to the fund:

Provided further that such shares shall be transferred to the Authority without any restrictions and no application shall be filed for claiming back such shares from the Authority.

(2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.

(3) The company shall follow the following procedure while transferring the shares, namely:-

(A) for the purposes of effecting the transfer, where the shares are dealt with in a depository-

(i) the company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority,

(ii) on receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority;

(B) for the purposes of effecting the transfer of shares held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholder, to the company, for issue of a new share certificate;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a new share certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of the certificate that

“Issued in lieu of share certificate No..... for the purpose of transfer to IEPF under sub-section (9) of section 90 of the Act” and the same be recorded in the register maintained for the purpose;

(iii) particulars of every share certificate shall be in Form No. SH-1 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of a new share certificate, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.

(4) The company shall make such transfers through corporate action and shall preserve copies for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action taken under sub-rule (4) of rule 6A containing details of such transfer and the company shall also attach a copy of order of the Tribunal under sub-section (8) of section 90 of the Act along with a

declaration that no application under sub-section (9) of section 90 of the Act has been made or is pending before the Tribunal.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) The company shall maintain all such statements filed under sub – rule (3) in the same format along with all supporting documents and the Authority shall have the powers to inspect such records.

(8) All benefits accruing on such shares like bonus shares, split, consolidation, fraction shares and the like except right issue shall also be credited to such DEMAT account [by the company which shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action containing details of such transfer.]

(9) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(10) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(11) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(12) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under sub-rules (9), (10) and sub-rule (11) shall be remitted into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank [and the details thereof shall be furnished to the Authority in Form No. IEPF-7 within thirty days from the date of remittance].

Provided further that all such amounts shall be transferred to the Authority without any restrictions and no application shall be filed for claiming back such amounts from the Authority.

(13) Authority shall furnish its report to the Central Government as and when non-compliance of the rules by companies came to its knowledge.”

(c). for the Forms IEPF-4 and IEPF-7, the following Forms shall be substituted, namely:—

FORM NO. IEPF-4

[Pursuant to rule 6(5), 6(8), 6A(5) and 6A(8) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi
Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - For each SRN of IEPF-4 different IEPF-4 forms needs to be filed for benefits accruing on shares.

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) *Total number of shares transferred

4. Purpose of filing

1. SRN of form IEPF-1/1-INV/IEPF-4 Prefill

2. Date of Declaration of benefits accruing on Shares Transferred to IEPF.

3. Date of Corporate Action to Demat account of IEPF Authority.

4. *Financial Year to which the amount relates

Attachments

- *Copy of Newspaper advertisement or order of a copy of order of the Tribunal under sub-section (8) of section 90 of the Act along with a declaration that no application under sub-section (9) of section 90 of the Act
- Optional attachments, if any.

List of attachments

Attach	<input type="text"/>
Attach	<input type="text"/>

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* d * (DD/MM/YYYY) to sign and subr

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company".

FORM NO. IEPF-7

[Pursuant to rule 6(14) and 6A(13) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Statement of amounts credited to IEPF on account of shares transferred to the fund

Form language o English o Hindi
Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2. Please take a note that this form has to be filed only for one Financial Year at a time.

Purpose of filing

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company

Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of registered office of the company

(c) *Email id of the company

3. *Name of Transfree Bank

4. *Bank Transaction ID

5. *Date of payment of amount to the fund

6. *Amount credited to the fund

7. *Details of the amount transferred to bank account of the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Dividend on shares transferred to IEPF		
(b)	Proceeds realized on delisting of companies with respect to shares transferred to IEPF		
(c)	Proceeds realized on winding up of companies with respect to shares transferred to IEPF		
(d)	Others		
	Total		

8. *Financial Year to which the amount relates

Attachments

- *Copy of Resolution declaring dividend/ winding up order/ delisting order
- Optional attachments, if any.

List of attachments

Attach

Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary.

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This e-form has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company."

[F. No. 05/4/2020-IEPF]
MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R. 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R. 1267 (E) dated 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E) dated 22.05.2018, G.S.R. 343(E) dated 1st May, 2019 and G.S.R. 371(E) dated 14th August, 2019.